(एक महारत्न कंपनी)

# निगमित सामाजिक दायित्व नीति

(अप्रैल, 2024 को अद्यतन)

# विषय-सूची


| क्र.सं. | विषय | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| 1.0 | सीएसआर विजन वक्तव्य और उद्देश्य | 4 |
| 2.0 | कार्यनीति | 4 |
| 3.0 | प्रमुख क्षेत्र | 5 |
| 4.0 | निधियों का आवंटन (बजट) | 6 |
| 5.0 | परियोजना-आधारित गतिविधियों के लिए दृष्टिकोण और कार्यान्वयन तंत्र | 7 |
| 6.0 | सीएसआर गतिविधियों की मॉनीटरिंग और मूल्यांकन/प्रभाव आकलन | 9 |
| 7.0 | सीएसआर रिपोर्टिंग<br>7.1 अपनी वेबसाइट पर सीएसआर गतिविधियों का प्रदर्शन | 10 |
| 8.0 | भूमिका और दायित्व | 11 |
| 9.0 | सामान्य | 11 |

## 1.0 सीएसआर विजन वक्तव्य और उद्देश्य

पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) अपनी निगमित सामाजिक दायित्व पहलों के माध्यम से संधारणीय विकास के लिए परियोजनाएं शुरू करना जारी रखेगा, जिसका मुख्य ध्यान समाज की विद्युत और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति पर होगा।

निगमित सामाजिक दायित्व नीति (सीएसआर नीति) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निगम एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई बने जो बड़े पैमाने पर समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध हो।

**पीएफसी एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई के रूप में निम्नलिखित प्रयास करेगा:**

- सामाजिक और पर्यावरणीय संधारणीयता में योगदान देने वाली वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना और उनका लाभ उठाना।
- ऐसी परियोजनाएं शुरू करना जो समुदायों को ऊर्जा, जल और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करें।
- "दिव्यांग व्यक्तियों" और "स्वास्थ्य क्षेत्र" को सहायता प्रदान करने के लिए गतिविधियां शुरू करना।
- राष्ट्रीय विकास एजेंडे में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाना, जैसे सभी के लिए सुरक्षित पेयजल, विशेषकर बालिकाओं के लिए शौचालयों की व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शिक्षा आदि।
- शिक्षा, क्षमता निर्माण उपायों, हाशिए पर आने वाले व्यक्तियों और वंचित वर्गों/समुदायों के सशक्तिकरण के माध्यम से समाज में समावेशी विकास और समान विकास में योगदान देना।

**पीएफसी सीएसआर नीति का उद्देश्य:**

- अपने हितधारकों के हितों को मान्यता देते हुए, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से संधारणीय तरीके से अपने व्यवसाय को संचालित करने के लिए संगठन में सभी स्तरों पर प्रतिबद्धता के स्तर में वृद्धि सुनिश्चित करना।
- सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से पीएफसी के लिए सामाजिक सद्भावना उत्पन्न करना तथा एक कॉर्पोरेट के रूप में पीएफसी की सकारात्मक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार छवि को सुदृढ़ बनाने में सहायता करना।

## 2.0 कार्यनीति:

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई के रूप में, पीएफसी निरंतर आधार पर पारिस्थितिकी मुद्दों पर समझौता किए बिना इंफ्रास्ट्रक्चर/ समाज/समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए पहल का समर्थन करके समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेगा। यह उन गतिविधियों का समर्थन नहीं करेगा जो समाज के भीतर असंतोष पैदा कर सकती हैं और जो किसी भी तरह से सामाजिक सद्भाव को प्रभावित कर सकती हैं।

पीएफसी अपनी सीएसआर नीति को यथासंभव व्यावसायिक नीतियों और कार्यनीतियों के साथ संरेखित करेगा।

सीएसआर कार्यनीतियों को तदर्थ दृष्टिकोण से परियोजना-आधारित जवाबदेह दृष्टिकोण में परिवर्तन के साथ विकसित किया जाना चाहिए।

सीएसआर परियोजनाओं को लागू करते समय, पीएफसी देश के एक पिछड़े जिले के विकास के लिए न्यूनतम एक परियोजना और पर्यावरणीय संधारणीयता की न्यूनतम एक परियोजना शुरू करने का प्रयास करेगा।

पीएफसी महिलाओं के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास करेगा और विशेष रूप से कौशल विकास पहलों में दिव्यांग व्यक्तियों का समर्थन करेगा।

पीएफसी निगमित सामाजिक दायित्व और सतत विकास गतिविधियों के लिए आवंटित बजट से दीर्घावधि, उच्च प्रभाव वाली परियोजनाएं लेने का प्रयास करेगा।

पीएफसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों या सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने के लिए अन्य सार्वजनिक उपक्रमों/सरकारी संस्थाओं के साथ इस तरह से सहयोग कर सकता है कि संबंधित कंपनियों की सीएसआर समितियां सीएसआर नियमों के अनुसार ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर अलग से रिपोर्ट करने की स्थिति में हों।

पीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न कोई भी अधिशेष कंपनी के व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं बनेगा और इसका उपयोग केवल सीएसआर उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

## 3.0 प्रमुख क्षेत्र:

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-VII के अनुसार, जिसमें कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का उल्लेख किया गया है, पीएफसी निम्नलिखित क्षेत्रों में गतिविधियां करेगा। नीचे सूचीबद्ध मदें व्यापक आधार वाली हैं और उनकी व्याख्या उदारतापूर्वक की जानी चाहिए ताकि नीचे सूचीबद्ध विषयों के सार को समझा जा सके:

**क).** पर्यावरणीय संधारणीयता उपाय सुनिश्चित करना जैसे:

(i) नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा कुशल और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियां;

(ii) नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा पहल में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का समर्थन करना;

(iii) अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट से ऊर्जा आदि।

**ख)** स्वच्छता एवं सुरक्षित पेयजल का प्रावधान।

**ग)** शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देना, व्यावसायिक कौशल में वृद्धि करना, जैसे:

(i) कौशल विकास प्रशिक्षण से समाज के विभिन्न वंचित वर्गों को रोजगार प्राप्त होगा;

(ii) शिक्षा के क्षेत्र में हस्तक्षेप, जैसे पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा की आवश्यकताओं के लिए इनपुट प्रदान करना तथा बालिका शिक्षा कार्यक्रमों को समर्थन प्रदान करना।

**घ)** दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता देने से संबंधित गतिविधियां

**ङ)** स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां।

**च)** अन्य

(i) स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ गंगा कोष, पीएम केयर्स फंड में अंशदान या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास तथा राहत, पुनर्वास और कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कोई अन्य निधि।

(ii) केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक संस्थानों में स्थित प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटरों को अंशदान या समर्थन।

(iii) सीएसआर गतिविधियों के संबंध में विद्युत मंत्रालय की कोई पहल।

(iv) खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एवं रखरखाव तथा मौजूदा खेल सुविधाओं का उन्नयन एवं नवीनीकरण।

(v) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुरूप कोई अन्य गतिविधि।

### नई सीएसआर गतिविधियां

यदि वर्ष के दौरान नई सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं (यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप शामिल हैं) को शुरू करने की आवश्यकता महसूस की जाती है, जो उपर्युक्त सीएसआर गतिविधियों के अतिरिक्त हैं, तो उन्हें भी शामिल किया जा सकता है।

नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के बीच टकराव की स्थिति में, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान लागू होंगे।

## 4.0 निधियों का आवंटन (बजट):

कंपनी द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत निवल लाभ का न्यूनतम 2% प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कंपनी अधिनियम और सीएसआर नियमों के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर व्यय किया जाएगा।

पीएफसी न्यूनतम तीन वित्तीय वर्षों के सुस्थापित ट्रैक रिकॉर्ड वाले शैक्षणिक/प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से अपने स्वयं के कार्मिकों के साथ-साथ कार्यान्वयन एजेंसियों की सीएसआर क्षमताओं का निर्माण कर सकता है, लेकिन "प्रशासनिक उपरिव्यय" पर व्यय सहित ऐसा व्यय वित्तीय वर्ष के लिए पीएफसी के कुल सीएसआर व्यय के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

"प्रशासनिक उपरिव्यय" का अर्थ कंपनी द्वारा कंपनी में सीएसआर कार्यों के 'सामान्य प्रबंधन और प्रशासन' के लिए किए गए व्यय हैं, लेकिन इसमें किसी विशेष सीएसआर परियोजना या कार्यक्रम के डिजाइन, कार्यान्वयन, मॉनीटरिंग और मूल्यांकन के लिए सीधे किए गए व्यय शामिल नहीं होंगे और यह वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के कुल सीएसआर व्यय के 5% से अधिक नहीं होगा।

### अपवर्जन:

निम्नलिखित गतिविधियां कंपनी की सीएसआर गतिविधियों का भाग नहीं होंगी:

- कंपनी के सामान्य व्यवसाय के अनुसरण में की गई कोई भी गतिविधि;
- राष्ट्रीय स्तर पर किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय खेल कर्मियों के प्रशिक्षण को छोड़कर भारत के बाहर कंपनी द्वारा की गई कोई भी गतिविधि;
- अधिनियम की धारा 182 के तहत किसी भी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राशि का अंशदान;
- वेतन संहिता, 2019 की धारा 2 के खंड (के) में यथा परिभाषित अनुसार कंपनी के कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाली गतिविधियां;
- अपने उत्पादों या सेवाओं के लिए मार्केटिंग लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनी द्वारा प्रायोजन के आधार पर समर्थित गतिविधियां;
- भारत में लागू किसी भी कानून के तहत किसी भी अन्य सांविधिक दायित्वों की पूर्ति के लिए की गई गतिविधियां;

ऐसी अन्य गतिविधियां, जो सीएसआर गतिविधियों के रूप में निषिद्ध हैं या कार्यान्वयन-योग्य नहीं हैं, जैसा अधिनियम और/या सीएसआर नियमों के तहत निर्धारित किया जा सकता है।

### बजट का आवंटन:

सीएसआर गतिविधियों के लिए निधियों का आवंटन मामला-दर-मामला आधार पर किया जाएगा।

किसी एक राज्य में किसी एक परियोजना के लिए सीएसआर गतिविधि के अंतर्गत कुल व्यय उस वर्ष के लिए सीएसआर गतिविधि के अंतर्गत कुल बजट के 25% से अधिक नहीं होगा।

### आबंटित बजट का कैरीओवर

औसत निवल लाभ का निर्धारित प्रतिशत अधिनियम और सीएसआर नियमों में निर्दिष्ट तरीके से प्रत्येक वर्ष व्यय किया जाएगा।

हालांकि, यदि कंपनी सीएसआर राशि व्यय करने में विफल रहती है, तो कंपनी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में अव्ययित राशि को स्थानांतरित कर देगी, जब तक कि अव्ययित राशि किसी चालू* परियोजना से संबंधित न हो। यदि अव्ययित राशि किसी चालू परियोजना से संबंधित है, तो अव्ययित राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीस दिनों की अवधि के भीतर अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और इस तरह के अंतरण की तारीख से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर इस नीति के निमित्त अपने दायित्वों के अनुसरण में व्याय किया जाएगा, ऐसा न करने पर, कंपनी तीसरे वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में इसे अंतरित कर देगी।

**'चालू परियोजना' को नीचे पैरा 5.0 में परिभाषित किया गया है।*

यदि कंपनी अधिनियम के तहत आवश्यकताओं से अधिक राशि व्यय करती है, तो कंपनी ऐसी अतिरिक्त राशि को सीएसआर राशि व्यय करने की आवश्यकता के निमित्त तत्काल बाद के तीन वित्तीय वर्षों तक इन शर्तों के अध्यधीन सेट ऑफ कर सकती है कि (i) सेट ऑफ के लिए उपलब्ध अतिरिक्त राशि में सीएसआर गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो, शामिल नहीं होगा; और (ii) बोर्ड इस आशय का संकल्प पारित करता है।

उपर्युक्त गतिविधियां समय-समय पर एमसीए द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप की जाएंगी।

## 5.0 परियोजना आधारित गतिविधियों के लिए दृष्टिकोण और कार्यान्वयन तंत्र:

### कार्यान्वयन:

पीएफसी कार्मिकों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से संगठन के भीतर सीएसआर एजेंडा को लागू करने के लिए कदम उठाएगा, जो महत्वपूर्ण आंतरिक हितधारक हैं।

पीएफसी कार्मिकों के बीच सीएसआर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आंतरिक संचार कार्यनीति तैयार करेगा, उन्हें व्यवहार परिवर्तन के लिए आवश्यक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करेगा और व्यवसाय करने के सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से संधारणीय तरीकों और कार्यविधियों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा, और ऐसी सभी पहलों को आगे बढ़ाने हेतु सही गति प्रदान करने के लिए प्रेरक माध्यम अपनाएगा।

ऐसे राज्यों/क्षेत्रों/खंडों की पहचान की जाएगी जहां संसाधनों की कमी है, मुख्य रूप से सीएसआर नीति में परिभाषित क्षेत्रों के संबंध में, संधारणीय और अनुकरणीय मॉडल बनाने पर जोर देते हुए सहायता परियोजना आधारित होनी चाहिए।

सीएसआर गतिविधियों को सरकारी/अर्ध-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से किया जाना चाहिए, और इस संबंध में विचलन, यदि कोई हो, तो मामला-दर-मामला आधार पर निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आवश्यकता आधारित परियोजना के मामले में सरकारी एजेंसियों के अलावा अन्य एजेंसियों के माध्यम से निष्पादित किया जाना आवश्यक है, सीएसआर यूनिट रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करेगी। हालांकि, ईओआई आमंत्रित करने की शर्त उन जगहों पर लागू नहीं होगी जहां एजेंसियां सरकारी/अर्ध-सरकारी निकाय हैं। बेसलाइन सर्वेक्षण/डीपीआर और प्रभाव आकलन अध्ययन के मामले में भी यही शर्त लागू होगी।

सीएसआर यूनिट को विभिन्न स्रोतों अर्थात केंद्र सरकार की एजेंसियों, राज्य सरकार की एजेंसियों, सार्वजनिक उपक्रमों, प्रतिष्ठित संगठनों आदि से चिन्हित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपयुक्त प्रस्तावों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें प्राप्त करना चाहिए।

सरकारी/अर्ध-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से शुरू की गई परियोजनाओं के लिए, उनके द्वारा महसूस की गई आवश्यकता आकलन पर विचार किया जाएगा। हालांकि, अन्य प्रतिष्ठित एजेंसियों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के लिए, उनके द्वारा स्कोपिंग सर्वेक्षण/आवश्यकता आकलन किया जाएगा।

आंतरिक तंत्र के अनुसार, सीएसआर यूनिट में प्राप्त सभी प्रस्तावों को समय-समय पर सत्यापित और जांचा जाएगा।

सीएसआर नियमों (01.04.2021 और 20.09.2022 से प्रभावी) के अनुसार, सीएसआर गतिविधियों को कंपनी द्वारा स्वयं या किसी चिन्हित उपयुक्त कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके कार्यान्वित किया जाएगा।

(क) यदि पीएफसी किसी 'कार्यान्वयन एजेंसी' के माध्यम से सीएसआर परियोजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लेता है, तो पीएफसी फॉर्म सीएसआर-1 दाखिल करके एमसीए के साथ पंजीकृत इकाई को नियुक्त करेगा।

(ख) यदि पीएफसी स्वयं सीएसआर गतिविधि करने का निर्णय लेता है, तो सीएसआर यूनिट को सीएसआर परियोजना को चिन्हित करना चाहिए और उसके बाद एजेंसी से विस्तृत प्रस्ताव मांगना चाहिए, अधिमानतः प्रस्तावित सीएसआर गतिविधि में विशेषज्ञता और ऐसी चिन्हित परियोजना के विकास के लिए पूर्व अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा, ऐसी एजेंसी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली 'परियोजना प्रबंधन एजेंसी' होगी।

उपर्युक्त दोनों मामलों में, 'कार्यान्वयन एजेंसी' या 'परियोजना प्रबंधन एजेंसी' के रूप में चिन्हित एजेंसी सरकारी/अर्ध-सरकारी एजेंसियां होंगी। इसके अलावा, सीएसआर परियोजनाओं को क्रियान्वित करते समय, ये एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि माल और/या सेवाओं की खरीद सरकार द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार की जाए।

पीएफसी द्वारा प्राप्त सीएसआर प्रस्ताव, समय-समय पर एमसीए द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप उचित अनुमोदन प्रक्रिया का पालन करेंगे।

लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए)/करार ज्ञापन (एमओए) और अन्य कानूनी दस्तावेजों की विधिवत जांच की जाएगी और उन्हें कार्यान्वयन एजेंसियों/परियोजना प्रबंधन एजेंसी के साथ सीएसआर परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की समय-सीमा के साथ जारी/निष्पादित किया जाएगा।

एमओए पर एलओए जारी होने की तारीख से छह महीने के भीतर हस्ताक्षर किए जाएंगे, ऐसा न करने पर एलओए को रद्द माना जाएगा।

एमओए पर एजेंसियों के साथ निर्धारित समय में हस्ताक्षर किए जाएंगे और एलओए एमओए का भाग होगा। सभी मामलों में, एमओए बाध्यकारी दस्तावेज होगा।

सीएसआर परियोजनाओं को चिन्हित करते समय निम्नलिखित को परिभाषित करने के लिए यथासंभव प्रयास किए जाएंगे:

- ✓ कार्यक्रम का उद्देश्य
- ✓ आधारभूत सर्वेक्षण / आवश्यकता आकलन
- ✓ कार्यान्वयन प्रक्रिया
- ✓ दायित्व और प्राधिकारी
- ✓ भुगतान शर्तें
- ✓ अपेक्षित प्रमुख परिणाम और मापनीय परिणाम

किसी भी स्तर पर, यदि सीएसआर यूनिट को आवश्यकता महसूस होती है, तो वे परियोजनाओं के मूल्यांकन या चयन आदि में सहायता के लिए क्षेत्र के किसी बाहरी विशेषज्ञ की सेवाएं ले सकते हैं।

### वार्षिक कार्य योजना:

सीएसआर परियोजनाएं सीएसआर समिति द्वारा तैयार और अनुशंसित तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के आधार पर शुरू की जाएंगी। सीएसआर समिति द्वारा अपनी सीएसआर नीति के अनुसरण में तैयार की गई वार्षिक कार्य योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल होंगे

(क) प्रासंगिक वित्तीय वर्ष में की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों की सूची;

(ख) निष्पादन का तरीका;

(ग) निधियों के उपयोग की रूपरेखा और कार्यान्वयन कार्यक्रम;

(घ) ऐसी सीएसआर गतिविधियों के लिए मॉनीटरिंग और रिपोर्टिंग तंत्र; और

(ई) कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के लिए आवश्यकता और प्रभाव मूल्यांकन का ब्यौरा , यदि कोई हो।

बोर्ड, उचित औचित्य के आधार पर सीएसआर समिति की सिफारिश के अनुसार वार्षिक कार्य योजना में परिवर्तन कर सकता है।

### भौगोलिक क्षेत्र

पीएफसी देश में अपनी पसंद के किसी भी स्थान पर सीएसआर गतिविधियां/परियोजनाएं शुरू कर सकता है, क्योंकि उनके पास वाणिज्यिक परिचालन की कोई विशिष्ट भौगोलिक सीमा नहीं है।

### चालू परियोजना

"चालू परियोजना" से अभिप्रेत है

(i) एक बहुवर्षीय परियोजना, जो एक से अधिक वित्तीय वर्षों तक चलती है;

(ii) प्रारंभ वर्ष को छोड़कर समय-सीमा तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(iii) इसमें ऐसी परियोजना भी शामिल है जिसे शुरू में बहुवर्षीय परियोजना के रूप में अनुमोदित नहीं किया गया था, लेकिन जिसकी अवधि को बोर्ड द्वारा उचित औचित्य के आधार पर एक वर्ष से आगे बढ़ा दिया गया है।

चालू परियोजना की परिभाषा के अनुसार, अधिकतम स्वीकार्य समय अवधि तीन वित्तीय वर्ष होगी, जिसमें वह वित्तीय वर्ष शामिल नहीं होगा जिसमें परियोजना शुरू की गई है, अर्थात (1+3) वित्तीय वर्ष।

ऐसी चालू परियोजना के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग अनुमोदित समयसीमा और वर्षवार आवंटन के संदर्भ में की जाएगी तथा समग्र स्वीकार्य समयावधि के भीतर परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए संशोधन, यदि कोई हो, किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, चालू परियोजनाओं से संबंधित प्रावधान 22 जनवरी 2021 से, अर्थात वित्तीय वर्ष 2020-21 से लागू हो गए हैं। उक्त प्रावधान भावी प्रभाव से लागू हैं और पिछले वित्तीय वर्षों की परियोजनाओं पर लागू नहीं होंगे।

## 6.0 सीएसआर गतिविधियों की मॉनीटरिंग और मूल्यांकन/प्रभाव आकलन:

कार्यान्वयन एजेंसी/परियोजना प्रबंधन एजेंसी परियोजना की मॉनीटरिंग के लिए जिम्मेदार होगी और कार्यान्वयन भाग पर पीएफसी को आवधिक रिपोर्ट प्रदान करेगी। एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि परियोजना निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरी हो जाए। यदि आवश्यक हो तो पीएफसी परियोजनाओं की मॉनीटरिंग के लिए एक विशेष एजेंसी/परामर्शदाता नियुक्त कर सकता है।

निष्पादित गतिविधियों की प्रगति रिपोर्ट निम्नानुसार रिपोर्ट की जाएगी:

क) सीएसआर समिति को तिमाही रिपोर्ट।

ख) निदेशक मंडल को सीएसआर की वार्षिक रिपोर्ट।

सीएसआर यूनिट को परियोजना के कुल स्थलों में से न्यूनतम 5% का दौरा करना होगा जहां संस्वीकृति से पहले भौतिक परिसंपत्ति बनाई जानी है, हालांकि, यदि यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, तो ऐसे दौरे संवितरण से पहले किए जाने चाहिए और दौरे की रिपोर्ट निदेशकों की सीएसआर और एसडी समिति को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

परियोजना के पूरा होने के बाद, परिसंपत्ति, यदि कोई हो, उक्त परियोजना के तहत प्रस्तावित लाभार्थियों को हस्तांतरित कर दी जाएगी और लाभार्थी परिसंपत्ति को हस्तांतरित होने के बाद उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे।

जिन परियोजनाओं में परिसंपत्तियों का सृजन किया गया है, उनकी संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी/परियोजना प्रबंधन एजेंसी को दोष दायित्व अवधि के अंत तक या पीएफसी और आईए/पीएमए के बीच आपसी सहमति के अनुसार, समग्र परियोजना कार्यान्वयन अवधि के दायरे में रखरखाव प्रदान करना आवश्यक होगा।

आईए/पीएमए को अंतिम भुगतान जारी करने से पहले, सीएसआर यूनिट यह सुनिश्चित करेगी कि परियोजना के कुल स्थलों (जहां भौतिक परिसंपत्तियों का सृजन किया गया है) में से न्यूनतम 10% का पीएफसी अधिकारियों द्वारा दौरा किया जाए। दौरे के बाद परियोजना स्थल की दौरा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव आकलन:

क) संशोधित कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम के नियम 8(3)(ए) के प्रावधानों के अनुसार, पीएफसी एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से अपनी उन सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव आकलन करेगा, जिनका परिव्यय एक करोड़ रुपए या उससे अधिक है और जो प्रभाव अध्ययन शुरू करने से न्यूनतम एक वर्ष पहले पूरी हो चुकी हैं। तदनुसार, कंपनी को 22 जनवरी, 2021 को या उसके बाद शुरू की गई या पूरी की गई सीएसआर परियोजनाओं (जिनका परिव्यय एक करोड़ रुपए या उससे अधिक है) का प्रभाव आकलन करना आवश्यक है।

ख) 22 जनवरी, 2021 से पहले पूरी हो चुकी अन्य परियोजनाओं के लिए, पीएफसी इसी अवधि के लिए पांच करोड़ रुपए से अधिक की संस्वीकृत अपनी सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव आकलन करेगा।

ग) प्रभाव आकलन रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी तथा उसे सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाएगा।

घ) प्रभाव आकलन करने वाली कंपनी उस वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर के लिए व्यय दर्ज कर सकती है, जो उस वित्तीय वर्ष के कुल सीएसआर व्यय का 2% या पचास लाख रुपए, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगा।

ङ) विशेष एजेंसियों जैसे सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/एनजीओ/प्रतिष्ठित संस्थान और शैक्षणिक संगठन आदि का चयन सीएसआर मैनुअल में उपलब्ध डीओपी (सीएसआर) के अनुसार किया जाएगा।

## 7.0 सीएसआर रिपोर्टिंग

किसी भी वित्तीय वर्ष से संबंधित कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट में सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट शामिल होगी जिसमें कंपनी अधिनियम 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्दिष्ट विवरण शामिल होंगे।

### 7.1 अपनी वेबसाइट पर सीएसआर गतिविधियों का प्रदर्शन

सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को सार्वजनिक पहुंच के लिए पीएफसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

## 8.0 भूमिका और दायित्व

| | | |
|---|---|---|
| 1 | सीएसआर यूनिट | सीएसआर यूनिट परियोजना(ओं)/योजना(ओं) का मूल्यांकन करेगी तथा पीएफसी में उचित अनुमोदन प्रक्रिया के बाद सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। |
| 2. | निदेशकों की सीएसआर समिति | सीएसआर समिति की भूमिका और दायित्व कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135/ समय-समय पर यथा संशोधित सीएसआर नियमों के तहत परिभाषित की जाएगी। |
| 3. | निदेशक मंडल | बोर्ड की भूमिका और जिम्मेदारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 / समय-समय पर संशोधित सीएसआर नियमों के तहत परिभाषित की जाएगी। |

## 9.0 सामान्य:

- सीएसआर और संधारणीयता नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सीएमडी को कोई भी अनुपूरक नियम/आदेश बनाने का अधिकार है।
- सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से समय-समय पर नीति की समीक्षा या संशोधन किया जाएगा।
- सीएसआर और संधारणीयता नीति के कोई भी या सभी प्रावधान सरकार/डीपीई द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले विषय संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधन के अध्यधीन होंगे।
- निगम इस नीति के किसी भी प्रावधान को संशोधित करने, जोड़ने, हटाने या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- यह नीति कंपनी अधिनियम 2013, अधिनियम की अनुसूची VII, सीएसआर नियम और डीपीई दिशा-निर्देशों पर आधारित है। ऐसी कोई भी संभावित स्थिति जिसमें **क)** कंपनी अधिनियम 2013, अधिनियम की अनुसूची VII, सीएसआर नियम **ख)** डीपीई दिशा-निर्देश और **ग)** पीएफसी सीएसआर नीति के बीच टकराव हो सकता है, **(क)** या **(ख)** जो भी लागू हो, सभी परिस्थितियों में लागू होगा।
- यह नीति निगमित सामाजिक दायित्व और संधारणीय विकास पर सभी पिछली नीतियों के स्थान पर है।
- नीति के किसी प्रावधान के संबंध में किसी भी संदेह की स्थिति में तथा इसमें शामिल न किए गए मामलों के संबंध में भी, सीएसआर यूनिट को संदर्भ दिया जाएगा। ऐसे सभी मामलों में, सीएसआर के प्रभारी निदेशक की व्याख्या और निर्णय अंतिम होगा।

# पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

**(भारत सरकार का उपक्रम)**

कॉर्पोरेट कार्यालय: उर्जानिधि , 1 बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली-110001, भारत

/pfclindia | /pfclindia | /pfclindia